

प्रमाण पत्र

कार्यपालन अभियंता, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, संभाग जगदलपुर को पहुँच मार्ग कार्य हेतु बस्तर वनमंडल जगदलपुर के गांव चोकावाड़ा, तहसील जगदलपुर जिला बस्तर में वन भूमि व्यपवर्तन हेतु कुल रकबा 0.672 हेक्टेयर वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन ।

1/ प्रमाणित किया जाता है कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है, तथा संपूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि 0.00 हे० एवं राजस्व वन भूमि 0.672 हे०, जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है, तथा ग्राम चोकावाड़ा, तहसील जगदलपुर में स्थित है, में तदनुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गई है।

ग्राम सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 24/04/2016 एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (प्रदर्श-"ब") पर दर्शित है।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण का प्रस्ताव ग्राम पंचायत चोकावाड़ा में श्री चेतन/देया की अध्यक्षता में हुई, ग्राम सभा की बैठक दिनांक 24/4/2016 में रखा गया था। (कई गांव होने पर प्रत्येक का विवरण दें दिनांक सहित) एवं इसमें 800 प्रतिशत ग्राम सभा के तथा ग्राम वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गयी। यह पाया गया कि इस क्षेत्र उपरोक्त अधिनियम के तहत वन अधिकार की मान्यता पत्र की पात्रता रखने वाले व्यक्ति नहीं है।

अथवा

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार है:-

क्रमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे० में)
1	चोकावाड़ा	निरंक	निरंक

3/ यह प्रमाणित किया जाता है कि जो भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए, उसमें ग्राम सभा के न्यूनतम प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कारण पूर्ण था।

4/ यह प्रमाणित 24/04/2016 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी0टी0जी0) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन वन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार " अनुसूचित जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006" की धारा 3(1)(म) अन्तर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5/ संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं ग्राम सभा के दिनांक 24/04/2016 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार
दिनांक :- 16/05/2016

(अमित कटारिया)

कलेक्टर

अध्यक्ष, जिला वन अधिकार समिति
जिला बस्तर

FORM-1
(for linear projects)
Government of Chhattisgarh
Office of the District Collector- Batar

No.Q/reader/2016

Date 16/05/2016

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forests (MOEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MOEF'S letter dated 5th february 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in favour of linear projects, it is certified that 0.672 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Approach Road for Atal Vihar Yojna Chokawada** (Purpose for diversion of forest land) in **bastar** district falls within jurisdiction of **Chokawada** Village (s) in **jadalpur** Tehsil.

It is further certified that :-

- (A) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.672 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meetings of the forest rights. Committee (s), Gram Sabha (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to Annexure
- (B) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under sections 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (C) The proposal does not involve recognised rights of primitive Tribal Groups and pre- agricultural communities.


(AMIT KATARIA)
Collector
District Batar (C.G.)